राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	48 / 2018	मदनलाल	1. पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान। 2. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चा.वि. सीकर राजस्थान।
2.	45 / 2018	नरपत सिंह	
3.	46 / 2018	उम्मेद सिंह	
4.	47 / 2018	किशन सिंह	
5.	49 / 2018	तारा देवी	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 48 / 2018 मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 29.09.2017 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लेखों के सम्बन्ध में की गयी जांच में बिना काम किये ही वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाना बताये जाने पर अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी हाजरी रजिस्टर की प्रति पेश की है, जिसके द्वारा उनके द्वारा निरन्तर कार्य करना पाया गया है। अपीलार्थी को हाजरी एवं कार्यो के अनुक्रम में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था, जो सही था। ऐसे में अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित कर वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी थी।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर में पदस्थापित होकर संबंधित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्य का निवर्हन किया गया है।

4. दोनों पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से कार्य किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति पंजिका भी पेश की है, फिर भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह माना गया है कि अपीलार्थी ने बिना काम किये वेतन व भत्तो का भुगतान प्राप्त किया है, जिसकी वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सम्बन्धित कार्यालय के अधीन रह कर निर्देशानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ऐस में स्वीकृत रूप में अपीलार्थी द्वारा कार्य किया जाना आया है। अतः अपीलार्थी के वसूली किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता हैं।
5. परिणामस्वरूप यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गयी है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थीगण को लौटाई जाए।
6. मूल आदेश अपील संख्या 48/2018 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपर्युक्त तालिका में अंकित अन्य सभी अपीलों में रखी जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)